फा.स.18(1)/2011-लेखा और क्रय

भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

92, संसद भवन,

नई दिल्ली।

दिनांक:25 मई, 2011

सेवा में

विषय: कम्प्यूटरों और उसके बाह्य परिधीय (पेरीफेरल) के लिए वार्षिक अनुरक्षण ठेके के संबंध में।

महोदय,

मुझे इस मंत्रालय में लगाए गए कंप्यूटर और बाह्य परिधीय (पेरीफिरल) के व्यापक सेवा अनुरक्षण ठेके (सी एस एम सी) के लिए सीलबंद कोटेशंस आमंत्रित करने का निदेश हुआ है। इच्छुक फर्मों से अनुरोध किया जाता है कि अपने प्रस्ताव/दरें दो बोली पध्दतियों अर्थात टेक्निकल बिड (अनुबंध-ख) और वित्तीय बिड (अनुबंध-ग) के माध्यम से अलग अलग भेजें । बोली दस्तावेज सीलबंद लिफाफे, जिस पर '**कम्पयूटरों और पेरीफेरल हेतु व्यापक अनुरक्षण संविदा के लिए कोटेशंस**' लिखा हो, में डालकर अनुभाग अधिकारी (लेखा और क्रय), कमरा न. 93, संसद भवन (दूरभाष:23034755) की अभिरक्षा में रखे बॉक्स में देर से देर 14 जून, 2011 को अपराहन 3.00 बजे तक डाले जा सकते हैं। समय समाप्ति के तुरंत बाद वित्तीय बिड्स खोलने के लिए फर्मों को छांटने के लिए पहले टेक्निकल बिडस खोली जाएगी। निबंधन और शर्तें अनुबंध-क के अनुसार लागू होंगी।

भवदीय,

(ए.मनोहरन)

उप सचिव, भारत सरकार

<u>अनुबंध- क</u>

निबंधन और शर्तें

1. कोटेशंस सीलबंद लिफाफे में होनी चाहिए और उस पर स्पष्ट लिखा होना चाहिए 'संसदीय कार्य मंत्रालय के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर के व्यापक अनुरक्षण के लिए टेक्निकल बिड', 'संसदीय कार्य मंत्रालय के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर के व्यापक अनुरक्षण के लिए वित्तीय बिड'।

2. कोटेशंस 14 जून, 2011 को उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे खोली जाएगी। जो फर्म 14 जून, 2011 को कोटेशंस के खुलने के समय अपने प्रतिनिधि को उपस्थित रखना चाहते हैं वे अपने प्रतिनिधि को उचितप्राधिकार पत्र सहित वहां तैनात कर सकते हैं ।

3. ठेके की आरंभिक अवधि ठेका देने की तारीख से एक वर्ष के लिए होगी। ठेके को एक वर्ष बीत जाने के पश्चात फर्म के संतोषजनक निष्पादन को देखते हुए बढ़ाया भी जा सकता है। भारत सरकार को अनन्य अधिकार होगा कि वह ठेके की अवधि के दौरान किसी भी समय बिना कोई कारण बताए और फर्म को बिना किसी क्षतिपूर्ति के करार को रद्द कर सकती है।

4. संपूर्ण सेवा अनुरक्षण और विभिन्न पेरीफिरल मदों का लगाया जाना स्थल पर ही होना चाहिए और यदि कोई मद मरम्मत के लिए वर्कशाप ले जानी आवश्यक है तो उसके बदले कोई दूसरी व्यवस्था करके ही ले जाना आवश्यक है। फर्म को नियमित निवारक रखरखाव सेवा देनी होगी।

5. फर्म को शिकायतों के निपटान के लिए मंत्रालय में एक योग्य सर्विस इंजीनियर तैनात करना होगा। उसकी प्रतिदिन की उपस्थिति एक निर्धारित रजिस्टर में फर्म द्वारा तैनात वरिष्ठतम सेवा इंजीनियर द्वारा मार्क की जाएगी। इस रजिस्टर को लेखा एवं क्रय अनुभाग में रखा जाएगा। मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सेवा इंजीनियर की अनुपस्थिति के लिए व्यापक सेवा अनुरक्षण संविदा के बिल में से धनराशि काट ली जाएगी।

6. शिकायतों को 24 घंटे के अंदर निपटा दिया जाना चाहिए तथा खराबी दूर कर दी जानी चाहिए और कंप्यूटर को तीन कार्यदिवस के भीतर चालू कर दिया जाना चाहिए जिसके न होने पर प्रिंटर के लिए रू 100/- प्रतिदिन और कंप्यूटर सिस्टम के लिए रू.400/- प्रतिदिन का जुर्माना देना होगा। सेवा इंजीनियर द्वारा शिकायत दूर कर दिए जाने के बाद मांग-पर्ची पर उपभोक्ता के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं।

7. फर्म अथवा इसके प्राधिकृत इंजीनियर/प्रतिनिधि द्वारा लापरवाही के कारण सरकार अथवा किसी अन्य सरकारी सामान को हुए नुकसान के लिए फर्म पूरी तरह जिम्मेदार होगी। फर्म

की लापरवाही के कारण इस मंत्रालय को हुए नुकसान की भरपाई फर्म के साथ किए गए संविदा प्रभार में से काट ली जाएगी। इस संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और फर्म के लिए बाध्यक होगा। संविदा से संबंधित अथवा इसके कारण उत्पन्न सभी विवाद इससे संबंधित अकेले सक्षम प्राधिकारी के माध्यस्थम द्वारा निपटाए जाएंगे।

8. फर्म की कुल बिक्री वित्तीय वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 में इस व्यापार में रू.80.00 लाख से अधिक होनी चाहिए।

9. भेजी गई दरें टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होंगी। एक वर्ष की अवधि पूरी होने तक फर्म को कोई छूट नहीं दी जाएगी।

10. फर्म का वैध पैन/टिन नम्बर होना जरू री है। फर्म के पैन/टिन नम्बर के बिना प्रस्तुत की गई कोटेशंस को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

11. फर्म को टेंडर के साथ रू.10,000/- अग्रिम धन जमा डिमांड ड्राफ्ट के रू प में वेतन और लेखा अधिकारी, मंत्रिमंडल कार्य, नई दिल्ली के पक्ष में जमा कराना होगा। सफल टेंडरदाता द्वारा जमा की गई अग्रिम धनराशि को ठेके की निबंधन और शर्तों की उचित पूर्ति/निष्पादन हेतु प्रतिभूति जमा के रूप में रखा जाएगा। उक्त प्रतिभूति राशि को टेंडरदाताओं को देय राशि के समायोजन के अधीन रहते हुए ठेके के सफल समापन के पश्चात वापिस कर दिया जाएगा। अन्य असफल टेंडरदाताओं से प्राप्त राशि को बिना ब्याज के वापिस कर दिया जाएगा।

12. प्रत्येक टेंडर दस्तावेज़ फर्म के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए जिसके न होने पर टेंडर दस्तावेज़ अवैध माना जाएगा।

13. व्यापक सेवा अनुरक्षण संविदा में उपकरणों की टूट-फूट के मामलों को छोड़कर साफ्टवेयर और हार्डवेयर संबंधी सहायता, सभी अतिरिक्त पुर्जों को लगाना, एस एम पी बैटरी सहित खराब पुर्जे, की बोर्ड माउस इत्यादि शामिल है। कंप्यूटर हार्डवेयर के किसी हिस्से का चूहे के काटने के कारण हुए नुकसान की भरपाई भी फर्म/एजेंसी द्वारा की जाएगी। सी एस एम सी में जल गए पुर्जों को बदलना भी शामिल होगा। प्रिंटर्स के मामले में सी एस एम सी में उपभोज्य वस्तुओं और कंप्यूटर के बाहरी कवर को हुए नुकसान को छोड़कर लॉजिक कार्ड, टेफलॉन शीट, पेपर मोटर, प्रेशर रोलर इत्यादि सहित हर चीज शामिल होगी । बिजली की सप्लाई में उतार-चढ़ाव के कारण कंप्यूटर अथवा इसके किसी हिस्से को हुए किसी भी नुकसान के लिए मंत्रालय जिम्मेदार नहीं होगा अथवा ऐसी कोई भी मद फर्म द्वारा बदली जाएगी।

14. फर्म मंत्रालय के कंप्यूटरों का 'जहां जैसा है के आधार पर' कार्यभार लेने पर सहमत होगी। फर्म को मंत्रियों के आवास कार्यालय, वरिष्ठ अधिकारियों के आवास इत्यादि पर कंप्यूटरों का रखरखाव भी करना होगा।

15. फर्मों को टेक्निकल बिड और वित्तीय बिड अनुबंध-ख और अनुबंध-ग में अलग-अलग भरनी होगी। फर्म/एजेंसी स्वयं अपने द्वारा तैयार किए गए अनुबंध-ख और अनुबंध-ग के प्रारूप का प्रयोग भी कर सकती है बशर्ते कि उनके प्रारूप इस मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप के समान हों।

16. वार्षिक अनुरक्षण ठेका प्रभार का भुगतान त्रैमासिक आधार पर होगा अर्थात ठेका अवधि की संबंधित तिमाही की समाप्ति के पश्चात होगा।

17. फर्म अपनी सेवाएं सभी कार्यदिवसों पर प्रातः 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक उपलब्ध कराएगा। तथापि, समय सारिणी और तारीख/दिन को मंत्रालय की सुविधानुसार बिना किसी पूर्व नोटिस के बदला जा सकता है। संसद सत्रों के दौरान अथवा किसी अन्य तत्काल प्रकृति के कार्य के दौरान फर्म को अपनी सेवाएं सरकार के अपने विवेक के अनुसार निर्धारित समय के बाद भी, जब भी आवश्यक हों, उपलब्ध करानी होगी।

18. किसी भी परिस्थिति में फर्म ठेके का उप-ठेकेदार अथवा उप-पट्टेदार नहीं नियुक्त करेगा। यदि यह पाया गया कि ठेकेदार ने इन शर्तों का उल्लंघन किया है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसी दिन से बिना किसी नोटिस के ठेका रद्द कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में जमानत राशि को ज़ब्त करने के अतिरिक्त इस मंत्रालय द्वारा, जो भी वह उचित समझे, कार्रवाई की जा सकती है।

19. ठेके की अवधि के दौरान इस मंत्रालय द्वारा कंप्यूटर सिस्टम, प्रिंटर्स, यू पी एस, स्कैनर और लेपटॉप इत्यादि की कुल संख्या घटाई और बढ़ाई जा सकती है। तदनुसार, वार्षिक अनुरक्षण ठेके का कुल मूल्य भी यथानुपात आधार पर घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है।

20. ठेके के चालू रहने के दौरान पैदा होने वाला कोई भी कानूनी विवाद, यदि कोई हो तो, उसका केवल दिल्ली/नई दिल्ली में ही निपटान किया जाएगा।

21. संविदाकर्ता को ऊपर उल्लिखित मदों के कार्य का कम से कम तीन वर्ष का पूर्व अनुभव होना चाहिए। टेंडरदाताओं को इस कार्य को करने के लिए अपनी सक्षमता सिध्द करने के लिए प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और अपने किसी प्रतिष्ठित संगठन के पहले के ग्राहक से अपनी स्थिति और सुनाम (गुडविल) का प्रमाण-पत्र भी उस मंत्रालय/विभाग के अधिकारी का नाम, पदनाम और टेलीफोन नम्बर का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करना होगा।

अनुबंध-ख

टेक्निकल बिड

1. फर्म का नाम
2. फर्म का पता
3. प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम (सुवाच्य अक्षरों में)
4. प्राधिकृत हस्ताक्षरी के नमूना हस्ताक्षर
5. प्राधिकृत हस्ताक्षरी का टेलीफोन नम्बर और फर्म के अन्य टेलीफोन नम्बर
6. क्या फर्म ने अग्रिम धन जमा किया है (हां/नहीं)
7. क्या फर्म एक योग्य सेवा इंजीनियर को नियुक्त करने के लिए सहमत है (हां/नहीं)

इंजीनियर का नाम और योग्यताएं

8. क्या शिकायतें 24 घंटे के भीतर निपटाई जानी है (हां/नहीं)
9. फर्म ने वित्तीय वर्ष 2008-2009, 2009-10, 2010-11 में जिन सरकारी विभागों/संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों आदि में कंप्यूटर ए एम सी/सी एस एम सी गतिविधियों से जुड़ा कार्य किया हो, उनका विवरण
10. फर्म की कुल वित्तीय बिक्री (रूपयों में) वर्ष 2008-2009, 2009-10, 2010-11 के लिए (चार्टिड लेखाकार द्वारा यथा प्रमाणित परीक्षित लेखा विवरण भी भेजें)
11. फर्म का पैन/टिन नम्बर
12. क्या सभी दस्तावेज़ फर्म के प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित किए गए हैं (हां/नहीं)
13. क्या फर्म अग्रिम धन जमा करने के लिए सहमत है
14. फर्म/एजेंसी में योग्य सर्विस इंजीनियरों की कुल संख्या
15. क्या फर्म ने अग्रिम राशि जमा करा दी है (हां/नहीं) यदि हां तो ड्राफ्ट नम्बर और तारीख
16. क्या फर्म अनुबंध-क में दी गई निबंधन और शर्तों से सहमत हैं (हां/नहीं)

(फर्म का प्राधिकृत हस्ताक्षरी)

अनुबंध- ग

वित्तीय बिड

1. फर्म का नाम
2. फर्म का पता
3. प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम (सुवाच्य अक्षरों में)
4. प्राधिकृत हस्ताक्षरी के नमूना हस्ताक्षर
5. प्राधिकृत हस्ताक्षरी का टेलीफोन नम्बर और फर्म के अन्य टेलीफोन नम्बर
6. सी एस एम सी प्रभार

क्र.सं.	मद	मात्रा	प्रति यूनिट दर
क.	पी-IV, कोर 2 डूओ (एच.सी.एल., एच.पी., कम्पाक, आई.बी.एम. और विप्रो निर्मित)	71	
ख.	प्रिंटर्स (i)एच.पी. डेस्क जैट प्रिंटर (ii) एच.पी. लेजर जैट प्रिंटर (6एल. गोल्ड,6 एल. प्रो, 1000,1015, 1150, 1200, 1300, 1022, 1007, 2608, 1505पी, 3600एन और 6110 इत्यादि)	75	
ग.	यू.पी.एस. (500, 600, 625, 800, 1000 वी ए)	81	
घ.	स्कैनर (एप्सन)	1	
ङ	बाह्य सी.डी. राईटर	2	
च.	लैपटॉप	5	
छ.	आई.बी.एम. सर्वर	2	

7. वैट/सर्विस टैक्स का प्रतिशत, यदि कोई है, का विवरण।

(फर्म का प्राधिकृत हस्ताक्षरी)

<u>व्यापक वार्षिक अनुरक्षण संविदा के लिए अनुबंध</u>

यह व्यापक वार्षिक अनुरक्षण संविदा (सीएएमसी) निम्नलिखित के बीच इस महीने की 30 जून, 2011 को हस्ताक्षर किया जाता है:-

मैसर्स ओम्नी इन्फोवर्ड (प्रा.) लिमिटिड (जिसे इसमें इसके पश्चात 'फर्म' कहा गया है) जिसका कार्यालय ए-2/10, सेक्टर-110, नोएडा-201305 पर है।

और

संसदीय कार्य मंत्रालय जिसका कार्यालय कमरा नं. 92, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (जिसे इसमें इसके पश्चात **'ग्राहक'** कहा गया है।

यह सी ए एम सी एक वर्ष की अवधि दिनांक 01.07.2011 से 30.06.2012 तक के लिए वैध है। यह फर्म एतदद्वारा निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अनुसार 71 कंम्प्यूटर, 75 प्रिंटर (विविध प्रकार के), 81 यूपीएस, 1 स्कैनर(एप्सॉन), 2 बाह्य सीडी राइटर, 5 लेपटॉप और 2 आईबीएम सर्वर का रखरखाव करने के लिए सहमत है। ग्राहक इस संबंध में शर्तों के अनुसार रू.1,53,593/- (कर सहित) का भुगतान करने को सहमत है, जोकि फर्म को त्रैमासिक आधार पर हर तिमाही की समाप्ति पर भुगतान किया जाएगा।

निबंधन और शर्तें:-

1. संविदा एक वर्ष की अवधि के लिए होगी। बताई गई दरें संविदा की अवधि के दौरान लागू रहेंगी और किसी भी कारण दरों के संशोधन की किसी मांग पर विचार नहीं किया जाएगा। संविदाकार का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह संविदा की अवधि की समाप्ति के पश्चात संविदा के अंतर्गत सभी उपकरणों को चालू हालत में इस मंत्रालय को वापस सौंपे, ऐसा न करने पर फर्म द्वारा मंत्रालय को सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित हर्जाने का भुगतान करना पड़ेगा।

2. संविदाकार कम्प्यूटरों/प्रिंटरों और यू.पी.एस. संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए सभी कार्यदिवसों पर केवल इस मंत्रालय की ड्यूटी पर एक निपुण स्थानिक इंजीनियर पूरे समय के लिए नियुक्त करेगा।

3. कार्य को कार्यालय परिसर में ही करना होगा। तथापि, केवल ऐसा कार्य जो कार्यालय परिसर में नहीं किया जा सकता उसे मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी (लेखा एवं क्रय) की लिखित अनुमति से बाहर ले जाने के लिए अनुमति दी जाएगी और इस संबंध में कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। उससे यह भी अपेक्षित होगा कि वह वैकल्पिक उपकरण भी उपलब्ध कराए।

4. संविदाकार संसदीय कार्य मंत्रालय के कार्यालय में सिस्टम्स का पूरा सेट उध्दत व्यवस्था (standby arrangement) के रूप में तैयार रखेगा।

5. यदि संविदाकार का काम असंतोषजनक पाया जाता है अथवा यदि संविदाकार संविदा का सम्मान नहीं करता है तो कार्य, चूक करने वाले संविदाकार के जोखिम/खर्च पर किसी और फर्म/पार्टी को सौंप दिया जाएगा।

6. संविदाकार को किए गए कार्य और प्रदान की गई सेवाओं का भुगतान त्रैमासिक आधार पर तिमाही समाप्त होने पर किया जाएगा। संविदाकार के कारण अगर कोई उपकरण चालू हालत में नहीं रहता है तो जितनी अवधि के लिए वह खराब रहता है, उतनी अवधि के लिए कोई शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा।

7. शिकायत पर उसी दिन अथवा 24 घंटे के भीतर कार्रवाई की जाए जिस दिन उसकी रिपोर्ट की जाती है और पाई गई कमी को दूर किया जाए और सिस्टम को तीन कार्यदिवस में प्रचालन अवस्था में लाना है, ऐसा न करने पर प्रिंटरों के लिए रु.100/- प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा और कंम्प्यूटर सिस्टम्स के लिए रु.400/- प्रतिदिन का जुर्माना भरना होगा। सर्विस इंजीनियर द्वारा शिकायत दूर करने के बाद प्रयोक्ता द्वारा मांग-पर्ची पर ठीक प्रकार से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

8. व्यापक सेवा अनुरक्षण संविदा में उपकरणों की टूट-फूट के मामलों को छोड़कर साफ्टवेयर और हार्डवेयर संबंधी सहायता, सभी अतिरिक्त पुर्जों को लगाना, एस एम पी बैटरी सहित खराब पुर्जे, की बोर्ड माउस इत्यादि शामिल है। कंप्यूटर हार्डवेयर के किसी हिस्से का चूहे के काटने के कारण हुए नुकसान की भरपाई भी फर्म/एजेंसी द्वारा की जाएगी। सी एस एम सी में जल गए पुर्जों को बदलना भी शामिल होगा। प्रिंटर्स के मामले में सी एस एम सी में उपभोज्य वस्तुओं और कंप्यूटर के बाहरी कवर को हुए नुकसान को छोड़कर लॉजिक कार्ड, टेफलॉन शीट, पेपर मोटर, प्रेशर रोलर इत्यादि सहित हर चीज शामिल होगी । मंत्रालय बाहरी कवर को हुए किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। बिजली की सप्लाई में उतार-चढ़ाव के कारण कंप्यूटर अथवा इसके किसी हिस्से को हुए किसी भी नुकसान के लिए मंत्रालय जिम्मेदार नहीं होगा और ऐसी कोई भी मद फर्म द्वारा बदली जाएगी।

9. किसी भी विवाद की स्थिति में संसदीय कार्य मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा।

ग्राहक के निमित्त
हस्ताक्षर
नाम: श्री रामेश्वर प्रसाद
पदनाम: अवर सचिव (प्रशासन)
हस्ताक्षर:
मोहर

मैसर्स ओम्नी इन्फोवर्ड (प्रा.) लिमिटिड
के निमित्त हस्ताक्षर
नाम:
पदनाम:
हस्ताक्षर:
मोहर